पंजीकृत

(17)

349 7
947

गृह मंत्रालय Ministry of Home Affairs नई दिल्ली / New Delhi
20 JAN 2014
के.र.सं. 96

सेवा मे

मा0 जनसूचना अधिकारी / गृह सचिव,
गृह मंत्रालय, भारत सरकार,
नई दिल्ली

दिनांक–14 जनवरी, 2014

पत्रांक सं0–583/सू0अ0अधि0–2005 / शाहजहाँपुर

विषयः– सूचना का अधिकार अधिनियम– 2005 की धारा 6(1) के तहत आवेदनः–

महोदय,

निवेदन है कि प्रार्थी की जानकारी मे आया है कि जन सूचना का अधिकार अधिनियम लागू होने के उपरान्त कतिपय प्रदेशो मे आर0टी0आई0 एक्टिविस्टो के ऊपर हमले की घटनाओ को दृष्टिगत कर आर0टी0आई0 एक्टिविस्टो की सुरक्षा हेतु गृह मंत्रालय द्वारा दिनांक 14.6.2013 को कार्यवाही हेतु आदेश पारित किया गया है। चूंकि प्रार्थी भी आर0टी0आई0 एक्टिविस्ट है जिस कारण प्रार्थी को उपरोक्त विषयक से सम्बन्धित निम्न जानकारी की आवश्यकता है।

अतः सूचना का अधिकार अधिनियम–2005 की धारा 6(1) के तहत दी गई निर्धारित अवधि मे निम्न सूचना उपलब्ध कराने की कृपा करे।

वांछित शुल्क 10/–रू0 हेतु पॉच रूपये मूल्य के दो पोस्टल आर्डर सं0–69C 747394 / 69C 747395 मूल रूप मे संलग्न है।

आपेक्षित सूचना का विवरणः–

1. आर0टी0आई0 एक्टिविस्टो की सुरक्षा हेतु जन सूचना का अधिकार अधिनियम लागू होने से आज दिनांक तक किस–किस दिनांक को किस–किस नाम के अधिकारीयो द्वारा आदेश पारित किये गये बताते हुए पारित आदेशो की छाया प्रति को प्रमाणित कर दो प्रतियो मे उपलब्ध कराने की कृपा करे।
2. आर0टी0आई0 एक्टिविस्टो की सुरक्षा हेतु पारित आदेशो का प्रभाव क्या सम्पूर्ण भारत वर्ष मे है अथवा किसी प्रदेश मे बताने की कृपा करे।
3. आर0टी0आई0 एक्टिविस्टो की सुरक्षा हेतु पारित आदेशो का प्रभाव यदि किसी प्रदेश मे नही है तो उस प्रदेश का नाम बताने की कृपा करे।
4. आर0टी0आई0 एक्टिविस्टो पर होने वाले हमलो से एक्टिविस्टो को किस प्रकार की सुरक्षा उपरोक्त आदेश से प्राप्त होगी बताने की कृपा करे।
5. गृह मंत्रालय द्वारा दिनांक 14.6.2013 को आर0टी0आई0 एक्टिविस्टो की सुरक्षा हेतु पारित आदेश की छाया प्रति को प्रमाणित कर दो प्रतियो मे उपलब्ध कराने की कृपा करे।
6. क्या उत्तर प्रदेश मे आर0टी0आई0 एक्टिविस्टो से सम्बन्धित जनपद वार लिस्ट बनाई गयी है। यदि हॉ तो उत्तर प्रदेश के जनपद शाहजहाँपुर आर0टी0आई0 एक्टिविस्टो से सम्बन्धित लिस्ट की छाया प्रति को दो प्रतियो मे प्रमाणित कर उपलब्ध कराने की कृपा करे।

संलग्नक–

1. उक्त पोस्टल आर्डर मूल रूप मे।

नोटः–यदि प्रार्थी द्वारा मांगी जा रही सूचना या उसके किसी अंश का सम्बन्ध किसी अन्य लोग/प्राधिकरण से हो तो कृपया सू0अ0अधि0–2005 की धारा 6(3) के नियमानुसार कार्यवाही करने की करे।

प्रार्थी

Shyam Sunder

श्याम सुन्दर शर्मा
C/o सूचना का अधिकार,टास्क फोर्स कार्यालय,
मो0 खलील शर्की, निकट–अम्बा टाकीज मोड़,
शाहजहाँपुर

13/01/2014
03/02/14

आर.टी.आई

सं. I-11034/20/**2014**-एन.एम./एएनओ-I

भारत सरकार

गृह मन्त्रालय

नक्सल प्रबंधन विभाग

(नक्सल विरोधी अभियान स्कंध)

कमरा सं. 13-ए, नॉर्थ ब्लॉक,

नई दिल्ली, दिनांक 11.03.2014 12

सेवा में,

श्री श्याम सुंदर शर्मा,
द्वारा - सूचना का अधिकार, टास्क फोर्स कार्यालय,
मो0 खलील शर्की, निकट - अम्बा टाकिज मोड़,
शाहजहाँपुर

विषय - सूचना के अधिकार अधिनियम 2005 के तहत आवेदन।

संदर्भ इस मंत्रालय का पत्र संख्या VI.23014/132/2013-वीएस दिनांक 04.03.2014 है जिसके माध्यम से आपका दिनांक 14.01.2014 का उपरोक्त आवेदन इस स्कंध को दिनांक 05.03.2014 को श्री गिरीश कुमार, निदेशक (वीएस) एवं केन्द्रीय लोक-सूचना-अधिकारी, गृह मंत्रालय से प्राप्त हुआ है।

2. इस संबंध में यह सूचित किया जाता है कि उक्त सूचनाएँ इस इस स्कंध से संबंधित नहीं है। अतः इस स्कंध की सूचना शून्य मानी जाए।

3. उक्त आवेदन से संबंधित पुनरावेदन (Appeal), यदि आवश्यक हो, तो इस आवेदन की प्राप्ति के 30 दिनों के अन्तर्गत श्री एम. ए. गणपति, संयुक्त सचिव (नक्सल विभाग), कमरा सं. 193-ए/1, नॉर्थ ब्लॉक, नई दिल्ली को किया जा सकता है।

दलजीत सिंह

(दलजीत सिंह चौधरी)
निदेशक (न0वि0अ0-I) एवं कें0लो0सू0अ0
टेली.फैक्स: 2309 4019